

नकल जमाबंदी (पड़त पटवार)

गांव: मरोडा

हदबस्त नं. 38

उप

तहसील: फिरोजपुर झिरका (मगीम)

जिला: Mewat

साल: 2013-2014

पृष्ठ संख्या: 1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खेत या जमाबंदी नं.	खेती नं.	नाम ताल या पत्नी	विवरण सहीत मालिक का नाम	विवरण सहीत कसरदार	कुर या विचाई के अन्य साधन का नाम	नंबर खसरा या मुखबे और फोले का नंबर	रकबा और किसम जमीन	रर और संख्या के खेतों के साथ लगान को मुबाराग देता है	हिस्सा या हकीकत का धेगाप और बाछ का डेगा	माल और सवाई के बंदर सहित मोग	अधिपुनित

खुदकारत

9//

कच्चा

मोग

1069	1128	पती राजबौर	उसमान, याकूब, हबीब पुत्रान नूरमोहम्मद पुत्र कमरुद्दीन हर तीन समभाग वासियेह	—	4/1	2-17 डहरी	पड़ता वसरह खेवटे 300 न.1	माल	रजिस्ट्रेशन विवरण
1028					7	8-0 डहरी		माल	रजि नं. 236
					8	8-0 डहरी		सवाई	तिथी: 01/06/2018
					32//			3.300	नाम---
					21	3-12 मादा			याकूब
					46//				* इतकाल पौडगा है *
					1/1	6-15 डहरी			लाल आरम्भ---
					2	7-4 मादा			5584 बरुबे इल्फनामा
									तसदीक शुदा AC II Gread
					किंते 6	36-8			Nagina
					कुल मजरआ				लाल समाप्त---
					36-8				564! पट्टा नामा
									लाल समाप्त---
					10-16 मादा				लाल आरम्भ---
					25-12 डहरी				5651 पट्टा नामाखारिज
									लाल समाप्त---
									लाल आरम्भ---
									5690 पट्टा नामा
									लाल समाप्त---

Generated vide Entry/Receipt No.:04950 Dated:24-06-2019 Issued to r

Total Charges:20 (केवल बीस)

(Fee:10 + Computer Service Charges:10 (Total Pages:1))

Generated by ASIFN4GINA from Harland on 192.168.1.15 (001018EA04A7) dliVer 1.0.0.98 LRD:

SST:18/06/2019 3:22:03 PM LAT:24/06/2019 2:14:18 PM

HALRB



24/06/2019 2:14:54PM

1. The first part of the paper is devoted to the study of the

61-4-21

वा.सि.दे.क

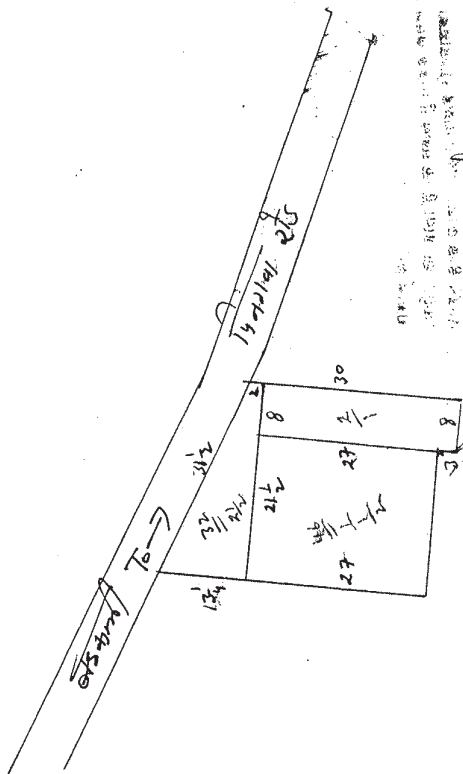
[illegible]

5-17

नाम
 गृह मंत्रालय, प्रधानमन्त्री निवास बंगलूर
 दिनांक ३०

३०३

५/१२/१५



५०४

१५/११/१५
 २५/११/१५
 ३०/११/१५
 ३१/११/१५
 ३२/११/१५
 ३३/११/१५
 ३४/११/१५
 ३५/११/१५
 ३६/११/१५
 ३७/११/१५
 ३८/११/१५
 ३९/११/१५
 ४०/११/१५
 ४१/११/१५
 ४२/११/१५
 ४३/११/१५
 ४४/११/१५
 ४५/११/१५
 ४६/११/१५
 ४७/११/१५
 ४८/११/१५
 ४९/११/१५
 ५०/११/१५

५/१२/१५

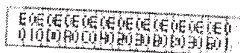


**Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government**



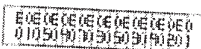
Date : 19/12/2018

Certificate No. VAS2018L16

Stamp Duty Paid : 89 50 80
11 03 02

GRN No. 42714190

(Rs. Only)



Penalty :

(Rs. Zero Only)

Deponent

ame : Usman

.No/Floor : Na

Sector/Ward : Na

Landmark : Na

ity/Village : Marora

District : Mewat

State : Haryana

hone : 9999999999

urpose¹: Pattanama

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

पट्टानामा अराजी जरई मा० २,०००/- रु० प्रति वर्ष
अरसा ३० वर्ष

शब्द 300

मौजा मरोडा

मैं उसमान (आधार कार्ड न० 9192 5674 4963), पुत्र नूर मौहम्मद पुत्र कमरुद्दीन निवासी मरोडा सब तहसील नगीना तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात का हूं। जो कि अराजी जरई खेवट खाता न० 1069/1128 कीला न० 32//21/2(1-5), 46//1/1/2(3-5), 2/1(1-7), कुल तादादी रकबा 05 कनाल 17 मरला सालम वाका मौजा ग्राम मरोडा सब तहसील नगीना तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात की जमाबंदी साल 2013-14 व बरूवें इंतकाल तकसीम मन्जूर शुदा न० 5584 से मेरी मिलकियत मकबूजा है। जो कि हर किस्म भार रहित है। हम अराजी उक्त को स्वयं काश्त व उपयोग करने में असमर्थ है। और हमें उक्त रकबा बाला से कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आज अपनी ठीक बुद्धि व शुद्ध अन्तर्करण से अराजी उक्त को बनाये 30 वर्ष जो दिनांक 19.12.2018 से 19.12.2048 तक के लिए मु० 2000/-दो हजार रू० प्रति वर्ष के हिसाब से पट्टा पर अपने सगे पुत्र बाहक जाफरान अली (आधार कार्ड न० 3359 9171 6452) पुत्र श्री उसमान पुत्र नूर मौहम्मद निवासी मरोडा सब तहसील नगीना जिला नूंह मेवात को पट्टे पर दे दिया है। पट्टा ग्रहिता को अधिकार होगा कि वह उक्त रकबा बाला मे मेरी और से किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करे, पट्टाधारक को यह

Tea-entü

...2....

अधिकार होगा कि वह रकबा बाला को किसी अन्य को लीज पर देवे, स्वयं कोई कार्य करे, या अन्य किसी से कराए, मेरी व मेरी वारसान को किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होगा। इंतकाल पटटा दर्ज व मन्जूर करावे म मेरी किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होगा। अगर पटटा ग्रहता पटटा राशि को साल बा साल अदा नहीं करेगा तो मेरी बजरिये अदालत पटटा राशि वसूल कर लेंगे। जिसका तमाम हर्जा व खर्चा का जिम्मेवार पटटा ग्रहिता जाफरान अली स्वयं होगा। अब मेरी वारसान का अराजी उक्त के रकबे व कब्जे से 30 वर्ष तक कोई ताल्लुक वा वास्ता किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। मैं पटटेदार को 30 साल तक किसी भी सूरत में बेदखल नहीं करूंगा। म्याद पूरी होने पर यह पटटानामा कैंसिल समझा जाएगा। और जाफरान अली पटटा ग्रहता मेरी जमीन को मुझे सही व दुरुस्त हालात में देगा। अतः यह पटटानामा जरई मेने पढकर व सुनकर व सुनवाकर समझा लिया है जो कि ठीक व दुरुस्त है। तथा इसमें लिखि तमाम शर्तों के में व फरीकेन व मेरी वारसान पूरी तरह से पाबंद रहेंगे। अतः यह पटटानामा जरई जाफरान अली पुत्र उसमान निवासी मरोडा सब तहसील जिला नूंह मेवात के नाम अरसा 30 साल के लिए लिख दिया है कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे। लिखित दिनांक 19. 12.2018 वार बुधवार

1- उसमान
पटटा कर्ता



Jafrani
पटटा ग्रहिता
जाफरान अली

साक्षी : अरशद लम्बरदार
निवासी मरोडा सब तह0 नगीना।

[Signature]

साक्षी : अब्बास पुत्र उसमान
निवासी मरोडा तह0 नगीना।

Abbas Khan

[Signature]
Actd 19/12/18

Drafted By
Mohd Rafik Adv.
Sub Teh. Nagina (Nuh)